(b) how far the objectives are being achieved :

(c) whether Government are aware that the foodgrains distributed under the J.R.Y. as part of lages were not used; and

(d) if so, what measures are proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) (a) The primary objective of Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is to generate additional gainful employment for unemployed and under-employed persons in the rural areas. The secondary objectives is the creation of sustained employment by strengthening rural economic infrastructure and also assets in favour of the rural poor for their direct and continuing benefits.

(b) From the employment generated and physical assets created ever since the inception of JRY, as given in Statement and Annexure respectively, it is evident that the desired objectives of the scheme are being achieved. [Appendidix 170, Annexure No. 34]

(c) and (d) The distribution of foodgrains as part of wages to the workers engaged under JRY @2 kg. per manday was made compulsory during the year 1992-93 to improve the nutritional standards of the workers. However, the off take of foodgrains by different States under JRY did not improve as the prices of foodgrains in the open market in some places were lower than the Public Distribution System (PDS) rates at which these are distributed to the workers under JRY. During the year 1993-94 the payment of wages in foodgrains was, therefore, made optional depending upon the prices in the open market. A part of wages to the JRY workers can now be paid it the form of foodgrains not exceeding 2 kg. per manday and not exceeding 50% of the wages in cost whenever the open market prices happen to be higher than those under the PDS.

Statement

Employment Generated Under Jawahar Rozgar Yojana

Year	Employment generated (lakh man-days)
1989-90	8643.87
1990-91	8745.59
1991-92	8092.01
1992-93	7821.02
1993-94	5248.57 (upto January, 1994)

पेयजल योजनाओं के लिए सहायता

1501 **श्री सुशील कुमार संभाजी राव शिन्दे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने पेयजल योजनाओं के लिए सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस संदर्भ में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक आबंटन के 50 प्रतिशत के बराबर केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त राज्य सरकारों के बिना किसी विशिष्ट अनुरोध के रिलीज की जाती है। राज्य सरकारों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की निधियों की दूसरी किस्त निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर रिलीज की जाती है ।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 के लिए आबंटन की पहली किस्त राज्य सरकारों के अनुरोध के बिना रिलीज की गई और दूसरी किस्त राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् रिलीज की गई जिसके ब्यौरे विवरण–I में दिये गये हैं ।

जहां तक उप-मिशनों के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का संबंध है, राज्य सरकारों ने 1993-94 तथा अगले वित्तीय वर्ष 1994-95 के पहले कुछ महीनों में इस्तेमाल होने वाली राशि हेतु निधियों की पहला किस्त की रिलीज के आधार पर परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमोदन चाहा है। कुछ मिनी मिशन परियोजनाओं के लिए योजनाओं की लागत अनुमानों में संशोधन करने के बारे में भी परियोजनाएं/योजनाएं प्राप्त हुई हैं।

उप-मिशनों तथा मिनी-मिशनों आदि के अन्तर्गत योजनाओं के ब्यौरे तथा ऐसी योजनाओं पर सरकार के निर्णय की वर्तमान स्थिति विवरण-II और विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन का विवरण, निधियां को बिना किसी विशिष्ट अनुरोध के रिलीज की गई, निधियां जो राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर रिलीज की गई

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	राज्य	आवंटन 1993-94	बिना अनुरोध वाली पहली किस्त	राज्य से अनुरोध वाली दूसरी किस्त	रिलीज की गई कुल राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	41.24	12.73	28.51	41.24
2	अरुणाचल प्रदेश	7.46	2.31	2.66	4.97
3	असम	13.70	6.85	4.975	10.925
4	बिहार	48.56	15.00	24.27	39.27
5	गोआ	0.84	0.275	0.565	0.84
6	गुजरात	26.56	8.65	13.28	21.93
7	हरियाणा	16.52	6.535	8.26	14.795
8	हिमाचल प्रदेश	8.33	3.25	5.06	8.31
9	जम्मू व कश्मीर	19.03	9.63	9.26	18.89
10	कर्नाटक	35.12	11.71	23.41	35.12
11	केरल	19.28	5.95	3.685	9.635
12	मध्य प्रदेश	45.64	14.10	31.90	46.00
13	महाराष्ट्र	54.88	16.95	20.98	37.93
14	मणिपुर	3.08	1.54	—	1.54
15	मेघालय	4.20	2.10	—	2.10
16	मिजोरम	2.10	0.64	1.46	2.10
17	नागालैण्ड	4.22	2.11	-	2.11
18	उड़ीसा	21.60	6.68	10.80	17.48
19	पंजाब	6.88	2.12	4.76	6.88
20	राजस्थान	68.86	25.78	43.08	68.86
21	सिक्किम	3.72	1.62	2.10	3.72
22	तमिलनाडु	32.68	10.10	16.34	26.44
23	त्रिपुरा	3.50	1.67	0.686	2.356
24	उत्तर प्रदेश	76.48	38.24	29.64	67.88
25	पश्चिम बंगाल	29.52	9.12	6.00	15.12
	योग	594.00	215.66	291.681	506.441

विवरण II

उप मिशनों के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

राज्य	योजना का नाम	गांव	अनुमानित लागत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	सुरक्षित व्यापक जल सप्लाई योजनाओं एवं व्यक्तिगत योजनाओं की व्यवस्था करनूल ।	126	1398.20	सभी 8 परियोजनाओं की जांच की जा रही
	निल्लौर जिले के आत्माकुर क्षेत्र में 11 व्यापक सुरक्षित जल सप्लाई योजनाएं एवं 95 व्यक्तिगत जल सप्लाई योजनाएं ।	123	654.00	–
	प्रकाशम जिले में फ्लोराइड की अधिकता वाले 71 प्रभावित गांवों में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था	71	247.00	–
	महबूबनगर जिले में ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना		1374.00	–
	रंगारेड्डी जिले के इब्राहिम पट्टिनम क्षेत्र में फ्लोराइड से प्रभावित 97 गांवों में पेयजल की व्यवस्था ।	97	375.00	–
	कुडप्पा जिले के पुलिवेन्डला क्षेत्र में 182 गांवों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था ।	182	3150.00	–
	निजामाबाद जिले में फ्लोराइड से प्रभावित कतिपय गांवों में पेयजल मुहैया कराना ।	128+ 59 प्रयोगशाला	2380.00	–
	गुंटूर जिले में ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना	17	310.00	–
2. असम	5,01,600 की जनसंख्या वाले 373 गांवों के लाभ के लिए 1854 लौह दूर करने के संयंत्रों की व्यवस्था करके दरांग उप मिशन परियोजना का समेकन ।		22.643	सामग्री एवम् श्रम की लागत में वृद्धि के कारण कार्य के विस्तार को 1854 लौह दूर करने के संयंत्रों से परिवर्तित कर 1283 लौह दूर करने के संयंत्र कर दिया गया है ।
	4 जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं		12.00	योजना प्रक्रियाधीन है । प्रस्ताव 25-2-94 को प्राप्त हुआ ।

विवरण II—जारी

1	2	3	4	5
3. हरियाणा	गुड़गांव, फरीदाबाद सोनीपत, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, जीन्द, अम्बाला एवं यमना नगर जिलों में फ्लोरोसिस पर नियन्त्रण के लिये उप मिशनों के अन्तर्गत योजनाएं।	276	11.068	कम लागत वाले संपोषण समाधान के संबंध में स्पष्टीकरण जल सप्लाई पर रिपोर्ट आदि 0.546 लाख की लागत दर से अनुमोदित 6 संयंत्रों से प्रतिक्षित है ।
4. मणिपुर	उप मिशन परियोजना के अन्तर्गत 155 लौह दूर करने के संयंत्रों की स्थापना।		16.87	
5. मेघालय	79 गांवों में 43,899 लोगों के लिये 16 लौह दूर करने की स्थापना।	—	165.361	तकनीकी जांच की जा रही है ।
6. पंजाब	रोपड़, गुरदासपुर, होशियारपुर के लिए कच्चे पानी को एकत्र करने की ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं।	10	3.059	परियोजनाओं पर अनुमोदनार्थ कार्रवाई की जा रही है।
	फ्लोराइड से प्रभावित गांवों की समस्या को हल करने के के लिये लुधियाना और अमृतसर जिलों की पेयजल सप्लाई परियोजना।	119	15.08	वही
7 राजस्थान	अजमेर जिले में फ्लोराइड खारेपन से प्रभावित 94 गांवों में पेयजल सप्लाई		1525.00	परियोजना अनुमोदित कर दी गई है और निधियों की रिलीज पर विचार किया जा रहा है।
8 उत्तर प्रदेश	उन्नाव जिले में फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल सप्लाई योजना	95 गांव प्रथम चरण में और 421 गांव दूसरे चरण में	33.91	(प्रथम चरण 10 करोड़ रुपये दूसरा चरण 23.91 करोड़ रुपये)
9 पश्चिम बंगाल	5.5 लाख जनसंख्या के लिए 1500 लाख रुपये की लागत वाली संख्या से प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई के लिये कार्य योजना का प्रथम चरण		1500.00	1993-94 की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 200 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं।
	1993-94 के दौरान विशेष सहायता हेतु त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए संशोधित लागत 97 गांवों के लिए 14 योजनाएं।		1362.07	तकनीकी जांच की जा रही है।

विवरण II—जारी

1	2	3	4	5
10. दिल्ली	छतरपुर जल सप्लाई योजना के लिए संशोधित लागत प्राक्कलन का अनुमोदन		21.19	तकनीकी जांच की जा रही है।
11. गुजरात	(क) फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र		65.96	अनुमोदन की प्रक्रिया-धीन
	(1) महसाना जिले के "एन श्रेणी" के 11 गांव			
	(2) लगभग 4 पी० पी० एम० फ्लोराइड तत्वों वाले 13 जिलों के 336 गांव		888.17	—वही—
	(ख) फ्लोराइड से प्रभावित गांवों की क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना			
	(1) गुवाहाटी ग्रामीण जल सप्लाई		352.00	—वही—
	(2) हथारवा, दयोदा ग्रामीण जल सप्लाई योजना		264.50	—वही—
	(3) जाट पंथवाड़ा ग्रामीण जल सप्लाई योजना		400.00	—वही—
	(4) खीमत, विथोदर ग्रामीण जल सप्लाई योजना		300.00	—वही—
	(5) सामीहरिजाग्रामीण जल सप्लाई योजना का विस्तार		450.00	—वही—
	(6) महसाना जिले की केन्द्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना		1500.00	—वही—
	(ग) जल एकत्रीकरण ढांचे (1) बनासकण्ठा जिले की 8 ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं का विस्तार		104.34	—वही—
	(2) अम्बाजी जल सप्लाई योजना का विस्तार		25.00	—वही—
	(3) वलार गांव से लगभग 1 कि० मी० दूरी पर बगाढ़ नदी पर रोक बांध का निर्माण।		4.9	—वही—
	(घ) खारेपन से प्रभावित क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना।			

विवरण II—समाप्त

1	2	3	4	5
	(1) फत्तेहपुरा–नशरतपुरा ग्रामीण जल सप्लाई योजना		32.57	अनुमोदन की प्रक्रिया धीन
	(ङ) 2.5 पी०पी०एम० से अधिक फलाराइड तत्वों वाले बड़ौदा और पंचमहल जिलों के 167 गांवों में फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र		841.66	वही
12. कर्नाटक	1. रायचुर जिले में इकलसपुर गांव के लिये 2 पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनाएं ।		8.50	तकनीकी जांच की जा रही ।
	2 रायचुर जिले के दिनी और नेलहाल गांवों के लिए दो पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनाएं ।		28.90	–वही–
	3. धारवाड़ जिले के अलूर और 6 अन्य गांवों के लिए 7 संयुक्त जल सप्लाई योजनाएं ।		84.00	–वही–
	4. कोलार और बरेली जिलों में फलोराइड से प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई (एच० डी० पी० एफ०)		24.00	वही
	5. बीजापुर जिले में सबलागी और युगालागांवों के लिए पेयजल सप्लाई ।		96.00	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जानकारी दी जानी है ।
13. तमिलनाडु	1. सलेम में परियोजना रिपोर्ट (45 बसावटें) धर्मपुरी में परियोजना रिपोर्ट (8 बसावटें)		242.00	–वही–
	2. पोचम्पल्ली और धर्मपुरी जिले की 24 बस्तियों में ग्रामीण जल सप्लाई योजना हेतु रिपोर्ट ।		205.00	–वही–
	3. वाडगुर चुनाव क्षेत्र की 61 बस्तियों में क्लोराइड दूर करने के संयंत्र लगाने हेतु परियोजना रिपोर्ट		347.00	–वही–
14 केरल	1. अलेप्पी जिले में कुटटानाड क्षेत्र के लिए जल सप्लाई परियोजना (18 गांव)		800.00	अनुमोदन हेतु जांच की गई है ।
		कुल योग	21645.031	

विवरण III

मिनी मिशन के अन्तर्गत प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

राज्य	परियोजना का नाम	प्राक्कलित लागत	अभियुक्ति
1	2	3	4
1. अरूणाचल प्रदेश	21,300 लोगों के लिये 19 हैंड-पम्पों वाली और 70 पाइप द्वारा जल सप्लाई की दो प्रकार की 13 योजनाओं के लिए पूर्वी सियांग मिनी मिशन जिले की गतिविधियों का समेकन	26.101	विचाराधीन है ।
2. असम	8.26 लाख लोगों के लाभ के लिए 207 गांवों में 206 योजनाओं के लिये कच्छार मिनी मिशन जिले में चल रहे कार्यों का समेकन	85.84	मिनी मिशन के अन्तर्गत 44.167 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे और 32.271 लाख रुपये अन्य स्रोतों से जुटाये जायेंगे ।
3. गुजरात	डांग में मिनी मिशन परियोजनाएं	23.06	अनुमोदित
4. हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा जिले में मिनी मिशन परियोजनाएं	87.83	अनुमोदित ।
5. जम्मू व कश्मीर	उधमपुर जिले में मिनी मिशन परियोजना	94.03	अनुमोदित निधियां रिलीज कर दी गई
	अनन्तनाग जिले में मिनी मिशन परियोजना	92.66	–वही–
6. कर्नाटक	रायचूर में मिनी मिशन परियोजना	77.51	अनुमोदित
7. मध्य प्रदेश	राजगढ़ जिले में मिनी मिशन परियोजना	74.61	–वही–
	शाहडोल में मिनी मिशन परियोजना	58.70	–वही–
8. राजस्थान	चुरू मिनी मिशन परियोजना हेतु संशोधित परियोजना (तीन योजनाएं) संशोधित लागत (1169.00 करोड़ रु०)	531.71	विचाराधीन (372 लाख रु० की अतिरिक्त लागत हेतु अनुरोध
9. त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा मिनी मिशन जिले में चल रही गतिविधियों का समेकन	430.44	अनुमोदित की गई 85.58 लाख रू० की राशि प्रौद्योगिक मिशन की निधियों में से और 1944.45 लाख रुपये त्वरित ग्रामीण पेयजल सप्लाई कार्यक्रम से पूरी की जाएगी ।
	कुल योग	1582.491	

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिमान के आधार पर भारत में कृषि उत्पादों के लिए बाजार

1502. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादन जिसमें एक बिन्दु कर प्रणाली रहे, के व्यापार के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिमान के आधार पर भारत में एक बाजार की स्थापना करने का विचार रखती है ; और